सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4(1)(ख)(i) के अंतर्गत
स्वः प्रकटीकरण

ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड

मैनुअल संख्या - 10

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित है

(Monthly Remuneration Received by Each of its Officers and Employees, Including the System of Compensation as Provided in its Regulations)

10.1 पारिश्रमिक निर्धारण की सामान्य नीति एवं विधिक आधार

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के मुख्यालय (आयुक्तालय, पौड़ी), क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों एवं जनपदीय कार्यालयों में सेवारत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें वेतनमान (7th Pay Commission / Revised Pay Matrix) तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुसार मासिक वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाता है।

मासिक पारिश्रमिक के अंतर्गत मूल वेतन (Basic Pay) के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा देय महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), पर्वतीय विकास भत्ता (Hill Allowance) तथा पद-विशिष्ट भत्ते सम्मिलित होते हैं। समस्त आहरण एवं वितरण कार्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS / e-Kosh Uttarakhand) के माध्यम से सीधे कार्मिकों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक डी.बी.टी. (DBT) प्रणाली द्वारा निष्पादित किया जाता है।

10.2 आयुक्तालय (मुख्यालय, पौड़ी) में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सकल मासिक पारिश्रमिक विवरण

(शासनादेश संख्या 473/2004 दिनांक 16.06.2004, शासनादेश संख्या 610/XI/05 दिनांक 24.06.2005, शासनादेश संख्या 1320/XI/2008 दिनांक 10.12.2008 एवं सातवें वेतनमान पुनरीक्षण आदेशों पर आधारित)

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	वेतन
1	श्री अरूण कुमार राजपूत	प्र० अपर आयुक्त / उपायुक्त	123100–215900 (लेवल–13)	170400.00
2	श्री भरत चन्द्र भट्ट	उपायुक्त	123100–215900 (लेवल–13)	147000.00
3	श्री प्रकाश रावत	उपायुक्त	123100–215900 (लेवल–13)	134500.00
4	श्री संजय कुमार सिंह	संयुक्त विकास आयुक्त	123100–215900 (लेवल–13)	134500.00
5	श्रीमती हेमन्ती गुंजियाल	उपायुक्त	123100–215900 (लेवल–13)	138500.00
6	श्री रमेश चन्द्र तिवारी	उपायुक्त	123100–215900 (लेवल–13)	134500.00
7	श्रीमती सुधा तोमर	सहायक आयुक्त	67700–208700 (लेवल–11)	88400.00
8	श्री मनमोहन	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100–177500 (लेवल–10)	69000.00
9	श्री रविन्द्र कुमार	सहायक लेखाधिकारी	56100–177500 (लेवल–10)	87400.00
10	श्री भगत सिंह नेगी	लेखाकार	56100–177500 (लेवल–10)	69000.00
11	श्री लोकमणी चौधरी	सहायक लेखाधिकारी	47600–151100 (लेवल–8)	66000.00
12	श्री आजाद कुमार	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100 (लेवल–8)	66000.00
13	श्री उमेश चन्द्र जोशी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100 (लेवल–8)	58600.00
14	श्री मौ0 यामीन अन्सारी	प्रशासनिक अधिकारी	44900–152400 (लेवल–7)	58600.00
15	श्री प्रकाश चन्द्र जैसाली	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	44900–152400 (लेवल–7)	78800.00
16	श्री संदीप भट्ट	प्रशासनिक अधिकारी	35400–112400 (लेवल–6)	46200.00
17	श्री संजीव कुमार	प्रधान सहायक	35400–112400 (लेवल–6)	47600.00
18	श्री पवन कुमार पन्त	प्रधान सहायक	35400–112400 (लेवल–6)	37600.00
19	श्री सुनील गुसाई	प्रधान सहायक	35400–112400 (लेवल–6)	37600.00

20	श्रीमती मोनिका त्यागी	वैयक्तिक सहायक	29200–92300 (लेवल–5)	41600.00
21	श्री भूपाल सिंह रावत	वैयक्तिक सहायक	29200–92300 (लेवल–5)	41600.00
22	श्री रवि कुमार सैनी	प्रधान सहायक	29200–92300 (लेवल–5)	34900.00
23	श्री दुष्यन्त कुमार सैनी	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 (लेवल–5)	38100.00
24	श्री संजय सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 (लेवल–5)	42800.00
25	श्री हेमन्त सिंह रावत	सहायक लेखाकार	29200–92300 (लेवल–5)	36500.00
26	श्री अर्चित भट्ट	वैयक्तिक सहायक	29200–92300 (लेवल–5)	31900.00
27	श्री मोहित लिंगवाल	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 (लेवल–5)	31000.00
28	श्री आशीष पन्त	वरिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)	25200.00
29	श्री मनोज घिल्ड़ियाल	वरिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)	36100.00
30	श्री मनोज कुमार	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)	31100.00
31	श्रीमती नीमा	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)	23100.00
32	श्रीमती निधि	कनिष्ठ सहायक	21700–69100 (लेवल–3)	23100.00
33	श्री मुकेश रावत	वाहन चालक	21700–69100 (लेवल–3)	31400.00
34	श्री सुनील कुमार	स्वच्छक / चौकीदार	21700–69100 (लेवल–3)	35000.00
35	श्री नरेन्द्र सिंह रावत	अनुसेवक	19900–63200 (लेवल–2)	30200.00

(टिप्पणी: चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रतिबन्धित होने के दृष्टिगत कार्यालयीन आवश्यकतानुसार स्वच्छता कर्मी, सुरक्षा गार्ड एवं डाटा एंट्री कार्मिक आउटसोर्सिंग/उपनल/पीआरडी के माध्यम से तैनात हैं, जिन्हें शासन द्वारा निर्धारित मासिक/दैनिक दरों पर पारिश्रमिक देय होता है)।

10.3 मुआवजे / प्रतिकर की प्रणाली

(System of Compensation as Provided in Regulations)

ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत सेवा नियमों एवं विभागीय योजनाओं के अधीन अनुमन्य प्रतिकर / क्षतिपूर्ति प्रणालियों का विहित विवरण निम्नवत है:

1. सेवा नियमों के अंतर्गत अनुमन्य प्रतिकर (Service Compensation):

- **अवकाश दिवसों में कार्य करने पर प्रतिकर:** शासकीय वाहन चालकों को राजपत्रित अवकाशों एवं त्योहारों पर अत्यावश्यक शासकीय/वीआईपी भ्रमण में निरंतर कार्य करने के एवज में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नियमों के अधीन **अधिकतम 01 माह का मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित)** क्षतिपूर्ति/प्रतिकर के रूप में अनुमन्य है।
- **अर्जित अवकाश नकदीकरण:** अधिवर्षता सेवानिवृत्ति अथवा सेवाकाल के दौरान आकस्मिक देहावसान पर कार्मिक या उसके आश्रित को उसके खाते में जमा अधिकतम 300 दिवसों के अर्जित अवकाश के समतुल्य एकमुश्त नकद धनराशि का भुगतान प्रतिकर के रूप में किया जाता है।
- **मृतक आश्रित अनुकम्पा एवं अनुग्रह लाभ:** शासकीय सेवा में कार्यरत कार्मिक की असामयिक मृत्यु पर 'मृतक आश्रित नियमावली, 1974' के अंतर्गत परिवार के एक अर्ह सदस्य को योग्यतानुसार समूह 'ग' अथवा 'घ' के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति तथा सामूहिक बीमा (GIS) व मृत्यु ग्रेच्युटी का त्वरित संवितरण किया जाता है।

- **चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति:** शासकीय सेवाकाल में असाध्य रोग अथवा गंभीर दुर्घटना की स्थिति में उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या नियमावली तथा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सालयों में हुए वास्तविक व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाती है।

2. विभागीय योजनाओं एवं अधिनियमों के अंतर्गत प्रतिकर:

- **मनरेगा / VB-GRAM G मजदूरी विलंब प्रतिकर:** कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर यदि मजदूरी कामगार के बैंक खाते में जमा नहीं होती है, तो अधिनियम के अनुसार **0.05 प्रतिशत प्रतिदिन** की दर से विलंबित अवधि का प्रतिकर (Delay Compensation) देय होता है।
- **बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance):** ग्रामीण कामगार द्वारा काम की मांग दर्ज कराने के 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध न होने की दशा में पहले 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी का एक-चौथाई (1/4) तथा उसके उपरांत आधा (1/2) बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- **सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के तहत प्रतिकर:** राज्य सूचना आयोग के आदेशानुसार यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने से आवेदक को कोई प्रत्यक्ष हानि अथवा क्षति सिद्ध होती है, तो लोक प्राधिकरण द्वारा विहित क्षतिपूर्ति/मुआवजे का संदाय किया जाता है।

10.4 पारिश्रमिक की गणना पद्धति, भत्ते एवं वैधानिक कटौतियां

मासिक वेतन देयक तैयार करते समय लेखा अनुभाग द्वारा निम्नलिखित मानकों का अनुपालन किया जाता है:

1. **सकल वेतन की संरचना:**
 - **मूल वेतन (Basic Pay):** 7वें वेतन आयोग के अनुसार पद-विशिष्ट पे-मैट्रिक्स लेवल में निर्धारित दर।
 - **महंगाई भत्ता (DA):** वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार।
 - **मकान किराया भत्ता (HRA):** पौड़ी (श्रेणी 'ग'/पर्वतीय नगर) में मूल वेतन का विहित 8%।
 - **पर्वतीय विकास भत्ता (Hill Allowance):** पर्वतीय क्षेत्रों में पदस्थापित कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेशानुसार देय।
 - **वर्दी एवं धुलाई भत्ता:** चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ₹200 वर्दी भत्ता व ₹90 धुलाई भत्ता प्रतिमाह; वाहन चालकों को ₹250 वर्दी भत्ता प्रतिमाह।
2. **अनिवार्य मासिक कटौतियां:**
 - **सामान्य भविष्य निधि (GPF):** पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 10% मूल वेतन कटौती।
 - **अंशदायी पेंशन योजना (NPS):** 01 अक्टूबर 2005 के उपरांत नियुक्त नियमित कार्मिकों हेतु मूल वेतन + डी.ए. का 10% अंशदान।
 - **कर्मचारी सामूहिक बीमा (GIS):** पद श्रेणी (समूह क, ख, ग, घ) के अनुसार निर्धारित शासकीय प्रीमियम कटौती।
 - **आयकर (TDS):** वित्तीय वर्ष में अनुमानित वार्षिक आय के आधार पर मासिक स्रोत पर कर कटौती।
 - **राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS):** कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु निर्धारित मासिक अंशदान।
 - **शासकीय आवास मानक किराया (Flat Rent / License Fee):** शासकीय आवास आवंटित होने पर निर्धारित दर से कटौती।